

प्रेषक,
अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
सचिव,
वेतन आयोग,
वित्त विभाग,
30प्र0 लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत वेतन आयोग के अंतर्गत गठित समिति/प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक "2070 अन्य प्रशासनिक सेवार्य-105-विशेष जॉच आयोग-03- राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि ₹0 3,61,33,000/- (रूपये तीन करोड़ इकसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय मदवार फॉट के अनुसार ही किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय का अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये:-

(लाख ₹0 में)

क्र0सं0	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1-	01- वेतन	174.50
2-	03- महंगाई भत्ता	17.45
3-	04- यात्रा व्यय	5.00
4-	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5-	06- अन्य भत्ते	20.00
6-	07- मानदेय	50.00
7-	08- कार्यालय व्यय	7.00
8-	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00
9-	12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.10
10-	13- टेलीफोन पर व्यय	2.00
11-	14- मोटर गाड़ियों का क्रय	0.10

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12-	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
13-	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	30.00
14-	18- प्रकाशन	2.00
15-	29- अनुरक्षण	2.00
16-	42- अन्य व्यय	1.00
17-	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
18-	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00
19-	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेनरी का क्रय	5.00
20-	49- चिकित्सा व्यय	10.00
21-	51- वर्दी व्यय	0.00
22-	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	11.62
योग-		361.33

(रूपये तीन करोड़ इकसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन" की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-4/2018/वे0आ0-2-210(1)/दस-141(वे0स0)/2009टी0सी0, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति।
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।